


राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड (राज0)
क्रमांक- राजस्व/2022/प्रान्त/105/2022 दिनांक 13/01/23

धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 13/01/2022

प्रार्थी राधेश्याम पिता छीतरलाल जाति भील नि0 पीथाखेडी तहसील सुनेल जिला झालावाड के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दरतावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्ला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंषा के आधार पर के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम पीथाखेडी पटवार मण्डल हेमडा तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में खाता संख्या 33 एवं 183 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम पीथाखेडी पटवार मण्डल हेमडा तहसील सुनेल	33 एवं 183	श्यामलाल पि. छीतरलाल	राधेश्याम पि. छीतरलाल


उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड

दिनांक 13/01/23

क्रमांक- राजस्व/2022/35-36
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी प्रार्थी राधेश्याम पिता छीतरलाल जाति भील नि0 पीथाखेडी तहसील सुनेल जिला झालावाड को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड

9C

